

20

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्यात करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पत्रावली

रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की राज प्रेकार की

किया गया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम संशोधित किया जावे।
रस्तावेज एवं जमाबंदी समेत 2066-2069 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन
जगदीश कुमार वर्द पार लाल अंकित है। प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त
आई0डी0 काड की विहित प्रतियाँ संलग्न हैं। इन सभी में प्रार्थी का नाम
पार लाल है। प्रार्थना पत्र के साथ आधार काड, राशन काड, वोटर
वर्द पारराम अंकित है। वस्तव में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार वर्द
0.791 है। राजस्व रेकाड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जगदीशवर्द
पुराना 47 के संयुक्त खाला में कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा
हल्का कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाला सं0 नया 50
(राजस्थान) का निवासी है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम 4 जे बडा पटवार
इस प्रकार से है कि प्रार्थी गाँव कालिया तहसील व जिला श्री गंगानगर
के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में-राजस्व अधिनियम

दिनांक :-27.09.2019

— :: आदेश :: —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार, जसिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— :: वनाम :: —

प्रार्थी

1. जगदीश कुमार पत्र स्व. पारलाल निवासी वाई नं. 8 एस.बी.बी. जे बड के पास कालिया तह. व जिला श्रीगंगानगर

संख्या :- प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019

महोदय अधिकारी :- मुकेश बौरव आर.एस.



~~श्रीगंगानगर~~
~~उपखण्ड आधिकारी (राजस्व)~~
(मुकेश बरैठ)

७७

खुले न्यायालय में सूनाया गया।
निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर

बाद तकमील दफ्तर दायित्व हो।
निवर्द्ध जावे। पञ्चवली निर्णय ब्रूमर होकर नम्बर से कम की जाकर
निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु

आदेश दिये जाते हैं।
के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के
स्थान पर प्राप्ति का नाम जगदीश कुमार पुत्र प्यार लाल दर्ज किये जाने
राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्राप्ति का नाम जगदीशचन्द्र वन्द प्याराम के
के संयुक्त खाता में कृषि भूमि में प्राप्ति के हिस्सा 0.791 है. जो दर्ज
हैका कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाता सं० नया 50/47
बादा 136 के अनुसरण में प्राप्ति की कृषि भूमि एक 4 जे बड़ा पटवार
नई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
तहसीलदार (राजस्व) श्री अमितेख शाखा श्रीगंगानगर के द्वारा की

किया।
मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन

